राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।
Telex : 0141-2222403 2222469 E mail ID : dlbrajasthan@gmail.com Website :www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ. 56 (क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2022-23/85308-518 दिनांक: 06/10/2022

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद / पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषयः—इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban) के अंतर्गत मेट का चयन कर मस्टररोल जारी किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban) के अंतर्गत नियोजित किये जाने वाले मेट के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि मेटो को रोटेशन में नियोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाये अर्थात् चयन किये गये सभी मेटों को क्रमवार नियोजित किया जाये। मेट हेतु एक वित्तीय वर्ष में 100 कार्य दिवस की बाध्यता लागू नहीं है।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मेट द्वारा श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज किये जाने के अतिरिक्त श्रमिकों को टास्क आधारित परिणाम सुनिश्चित करते हुए कार्य को संपन्न कराने का दायित्व भी है। उपरोक्त दायित्व निर्वहन के अभाव में मेट को भी श्रमिकों के टास्क के अनुरूप ही भुगतान किया जावेगा।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक एफ.56 (क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2022-23/85549-591 दिनांक: 06/10/2022

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त जिला कलक्टर (जिला परियोजना समन्वयक), राजस्थान
4. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
5. सुरक्षित पत्रावली।

(अरूण व्यास)
मुख्य अभियंता